

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/923/2015-

/राँची, दिनांक

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
औपचारिक रूप
से परामर्शित

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- जिंजोई सिंचाई योजना के ई०आर०एम० कार्य हेतु कुल रु० 4294.55 लाख (रुपये बेयालीस करोड़ चौरानबे लाख पचपन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन पलामू जिला अंतर्गत जिंजोई सिंचाई योजना के ई०आर०एम० कार्य हेतु कुल रु० 4294.55 लाख (रुपये बेयालीस करोड़ चौरानबे लाख पचपन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।
3. ई०आर०एम० कार्य अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेंगे :-
 - i) जिंजोई सिंचाई योजना के दांयी एवं बांयी मुख्य नहरो की पूरी लम्बाई में पुनर्स्थापन कार्य एवं Canal Lining का कार्य।
 - ii) इसके हुरी वितरणी के पूरी लम्बाई में पुनर्स्थापन एवं Lining कार्य।
 - iii) इसके पथरा वितरणी के पूरी लम्बाई में पुनर्स्थापन एवं Lining कार्य।
 - iv) योजना अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं का मरम्मत कार्य।
 - v) योजना के U/S में Protection Wall का निर्माण कार्य।
 - vi) योजना के दोनों मुख्य नहर एवं दोनो वितरणियों के सेवा पथ का मरम्मत कार्य।
 - vii) योजना की पूर्ण सिंचन क्षमता बहाल करने हेतु अन्य आवश्यक कार्य।
4. ई०आर०एम० कार्य के उपरान्त 1200 हे० हासित सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगा।
5. यह कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ कर वर्ष 2017-18 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
6. पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।

7. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर होंगे तथा अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, मेदिनीनगर, पलामू एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
8. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य निहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
9. इस योजना पर होने वाला व्यय
 - (i) मुख्य शीर्ष '4701' - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य लघु शीर्ष - 800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-54-सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, 43-अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)
 - (ii) मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप- मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष -796- अनुसूचित जन जातियों के लिए अंगीकृत योजना, उपशीर्ष 54- सिंचाई योजना का ERM, विस्तृत शीर्ष- 05- निर्माण, 43- अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री), के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा।
10. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय उपायुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।
11. कार्य के लिये राशि की निकासी पलामू कोषागार, पलामू से की जायेगी।
12. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
14. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिन्, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/923/2015- /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten signature)

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/923/2015- /राँची, दिनांक
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पलामू कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/923/2015- /राँची, दिनांक 17.03.2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनटरिंग अंचल, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)
17/03/16